सं. 1/2(iii)/2026-ई.II(बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

*****

कर्तव्य भवन 1, नई दिल्ली

दिनांक: 29 अक्तूबर, 2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: - पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान में अपना वेतन आहरित कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन।

अधोहस्ताक्षरी को, उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 22 अप्रैल, 2026 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/1(iii)/2026-ई.II(बी) का संदर्भ लेने और यह कहने का निदेश हुआ है कि पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधन-पूर्व वेतनमान में अपना वेतन आहरित कर रहे कर्मचारियों के संबंध में महंगाई भत्ते (डीए) की दर को दिनांक **01 जुलाई, 2026** से मूल वेतन के **483%** की मौजूदा दर से बढ़ाकर **497%** कर दिया जाएगा।

2. इन आदेशों के तहत महंगाई भत्ते को विनियमित करते समय, इस मंत्रालय के दिनांक 03 अक्तूबर, 1997 के का.ज्ञा. सं. 1(13)/97-ई.II(बी) के पैरा 3, 4 और 5 में उल्लिखित प्रावधान लागू रहेंगे।

3. इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उन सभी संगठनों के ध्यान में भी लाया जाए जहां केन्द्र सरकार के वेतनमान लागू हैं।

मनोज जैन

(मनोज कुमार जैन)

अवर सचिव, भारत सरकार

☎ 011 2401 1946

सेवा में ,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपिः **नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)।**